

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०स०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री हरिकृष्ण सिंह स०वि०स०	<p>हिन्दुस्तान अखबार के दिनांक- 01 दिसम्बर 2018 के अंक में प्रकाशित समाचार “कंपनी के सी०ओ० अखिलेश पर 11 महिला समूहों ने उनके नाम पर 11 लाख रुपये निकालने का लगाया आरोप” व्यू नेक्सजन कम्पनी पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप”।</p> <p>लातेहार जिला के व्यू नेक्सजन कम्पनी नामक संस्था मनिका प्रखण्ड मुख्य पथ पर सिंजो में अवस्थित है। कम्पनी के सी०ओ०/संचालक, श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने पचासों महिला स्पर्यं सहायता समूह बनाकर अगरबत्ती बनाने का कार्य शुरू किया और महिलाओं को प्रतिदिन 200/- रु० मजदूरी देने की बात कही और सभी महिला स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक भी ले लिया। बिना जानकारी बनांचल ग्रामीण बैंक शाया मनिका से सभी महिला स्वयंसहायता समूहों को 5-5 लाख रुपये का KCC लौन स्वीकृत करा दिया तथा 11 महिला स्वयंसहायता समूह से बैंक अधिकारियों/ कर्मचारियों से मिलीभगत करके 1-1 लाख रुपये की निकासी भी कर ली गई। जिन महिला स्वयंसहायता समूह से निकासी की गई उनका नाम निम्न प्रकार है:-</p>	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		<p>(1) गीता म० स्व० स० समूह सधारीह (2)- उपकार म० स्व० स० समूह, नामुदाग (3)- ममता म० स्व० स० समूह, होटवाग (4)- रानी म० स्व० स० समूह, सधारीह (5)- आरती म० स्व० स० समूह, होटवाग (6)- राजनन्दनी म० स्व० स० समूह, रंकीकला (7)- साक्षी म० स्व० स० समूह, माइल (8)- सरस्वती म० स्व० स० स्व० स० समूह, सधारीह (9)- कली म० स्व० स० समूह, सधारीह (10)- चन्दा म० स्व० स० समूह, सिंजो (11)- पार्वती म० स्व० स० समूह, होटवाग। उपर वर्णित “न्यू नेक्सजन कम्पनी” के संचालक द्वारा निर्धन आदिवासी महिलाओं को अगरबत्ती फैक्ट्री में काम लेकर मजदूरी भी नहीं दिया गया और बनांचल ग्रामीण बैंक शाखा मनिका के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके नाम पर 5-5 लाख का लोन स्वीकृत कराना तथा उपर वर्णित 1.1 महिला स्वयं सहायता समूह से 1-1 लाख रुपये की निकासी कराना अपने आप में बहुत बड़ी जालसाजी है।</p> <p>अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में “न्यू नेक्सजन कम्पनी” सिंजो मनिका के अगरबत्ती फैक्ट्री में कार्य करने वाली सभी महिलाओं को कुल मजदूरी भुगतान कराने, बनांचल ग्रामीण बैंक शाखा मनिका के अधिकारी/कर्मचारी एवं कंपनी के बीच संबंधों की जाँच तथा “न्यू नेक्सजन कम्पनी” का कार्यालय भवन की संमति की जाँच किसी सक्षम एजेंसी से कराने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	
02-	श्रीमती गंगोत्री कुजूर स०वि०स० प्रो० जयप्रकाश वर्मा स०वि०स० श्री साधुचरण महतो स०वि०स०	रौची जिलान्तर्गत लापुंग प्रखण्ड दूरस्थ के साथ जंगल क्षेत्र में है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है। यहाँ निवास करने वाले लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन वृष्टि है, किन्तु सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सिर्फ वर्षा आधारित ही-	उद्योग

01.	02.	03.	04.
		<p style="text-align: center;">-::3::-</p> <p>कृषि कर पाते हैं। धान की खेती के बाद आर्थिक आमदनी के संसाधन नहीं होने के कारण ये अन्य राज्यों एवं महानगरों में पलायन करते हैं, जहाँ इनके मानसिक एवं शारीरिक शोषण के भी ये शिकार होते हैं।</p> <p>उक्त के संदर्भ में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं कि सरकार लापुंग प्रखण्ड में उद्योग स्थापित कर वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देकर पलायन रोकना चाहती है जिससे वे सामान्य जीवन यापन कर सकें।</p>	
03-	श्री पौलुस सुरीन स०वि०स० श्री शशिभूषण सामाङ स०वि०स० श्री जगरनाथ महतो स०वि०स०	<p>सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड में पथ प्रमण्डल निर्माण विभाग में पथ प्रमण्डल सिमडेगा के अधीन कोलेबिरा मनोहरपुर NH- 143 घाट बाजार से हुरदा होते हुए उड़ीसा सीमाना तक जाने वाले मुख्य पथ का चौड़ीकरण कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।</p>	पथ निर्माण
04-	श्री प्रदीप यादव स०वि०स०	<p>गोडा जिला का पोड़ैयाहाट प्रखण्ड मुख्यालय शैक्षणिक हब है। सरकारी एवं गैर सरकारी प्राइमरी, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की कुल 14 संस्थाएँ हैं जहाँ हजारों छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं। इसी आधार पर पोड़ैयाहाट मुख्यालय में सरकार ने एक इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी थी। विभाग के आदेशानुसार कंसलर्ट ने DPR भी विभाग में जमा कर दिया है। लेकिन लापरवाही के कारण अबतक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। अतएव अविलम्ब टेंडर प्रकाशन कर कार्य प्रणाली हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य
05-	श्रीमती सीमा देवी स०वि०स०	<p>राँची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड के कोंचो पंचायत में याम कोंचो से सुंडिल स्कूल तक एवं सुंडिल गाँव से हरिहर मेला तक प्रधानमंत्री याम सङ्कर योजनान्तर्गत सङ्कर निर्माण का कार्य विविदा द्वारा अभिकर्ता को सौंपा गया था, परन्तु अबतक उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं-</p>	ग्रामीण विकास

-::4::-

किया गया है। इस सङ्क के निर्माण हेतु पूर्व विधायक श्री अमित कुमार के पत्रांक- 147/2018, दिनांक- 12.02.18 द्वारा राज्य संपोषित योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राथमिकता की सूची के प्रथम में अनुशंसा की गयी थी, परंतु विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी। उक्त सङ्क के निर्माण हेतु मेरे द्वारा भी पत्रांक- 68/2018, दिनांक- 13.07.18 द्वारा राज्य संपोषित योजना अंतर्गत सङ्क के निर्माण की अनुशंसा की सूची में प्रथम स्थान पर अनुशंसित था लेकिन विभाग द्वारा इस पथ के निर्माण हेतु स्वीकृति न देकर अन्य सङ्क की स्वीकृति दी गई।
अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ कि सरकार सिल्ली प्रखण्ड के उक्त सङ्क जो इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सङ्क है, के अधूरे कार्य को पूर्ण कराकर अभिकर्ता पर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

रौची,
दिनांक- 04 फरवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रौची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१९-.....1104.....वि० स०, रौची, दिनांक- 02/02/19
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय रौची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/उद्योग विभाग/पथ निर्माण विभाग/पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Shri Rajeshwar Singh)
(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रौची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१९-.....1104.....वि० स०, रौची, दिनांक- 02/02/19

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(Rajeshwar Singh)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रौची।

सुभाष/-

(Signature)
02/02